

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 134/2018

GCMS No. 2018/00237

सन्तरा पत्नी रामनिवास जाति अहीर उम्र .... साल निवासी ढाणी सागडु तन् सिंहोड़  
तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....वादिया

ब-ना-म

1. बीरबल पुत्र फुसिया जाति अहीर निवासी ढाणी सागडु तन् सिंहोड़ तहसील खेतड़ी  
जिला झुन्झुनूं, राज0
2. राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रतिवादीगण

दावा- खाता विभाजन


अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :-

दिनांक 02-01-2023

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21-09-2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम सिंहोड़ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 278 में दर्ज खसरा नंबर 1667/1176 रकबा 0.42 है। में वादिया का 12/42 हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/4456 दिनांक 18.10.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18-10-2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18-10-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-4” व “ब”) का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18-10-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-4” व “ब”) के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

### आदेश

अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18-10-2022 (प्रदर्श-"अ-1 लगा. अ-4" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18-10-2022 (प्रदर्श-"अ-1 लगा. अ-4" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श-"ब" के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02-01-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( जय सिंह )

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

सन्तरा

ब-ना-म

बीरबल आदि

दावा बाबत खाता विभाजन

मुकदमा नम्बर :- 134 / 2018


निर्णय दिनांक :- 02-01-2023

वादिया की ओर से श्री ख्यालीराम सैनी एडवोकेट की व प्रतिवादी सं.1 की ओर से श्री विजय कुमार जांगिड़ एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-01-2023 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

“अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18-10-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-4” व “ब”) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18-10-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-4” व “ब”) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी